फर्द अहकाम

लय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

दुर्गादत्त बनाम सरकार

ा संख्या /वर्ष : 37 /2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
28/11/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 3/12/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
3/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पैरोकार तहसील उप०। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक 361 दिनांक 25/12/2020 के द्वारा अपना जवाब पेश किया जो शामिल फाइल रहे। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 11/1/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
11/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील संघ द्वारा कन्डोलेन्स करने पर जनरल डेट दी गई। फलस्वरूप पत्रावली दिनांक 12/1/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
12/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उप०। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)
बइजलास : श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

प्रार्थना पत्र संख्या - 37/2016

1- दुर्गादत्त मीणा पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम पोतली तहसील जमवारामगढ जिला-जयपुर

....प्रार्थी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला - जयपुर

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरुस्ती इन्द्राज नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 131, 132 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय   दिनांक - 12/01/2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरुस्ती इन्द्राज नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 131, 132 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पेश किया। ~~[illegible]~~ (A.CA.Act) प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि गत ख0न0 166 रकबा 50 बीघा भूमि है। जिसको बन्दोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 में परिवर्तित [illegible] 336 रकबा 12.5100 हेक्टेयर कायम किये गये।

उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि ख0न0 166 रकबा 50 बीघा भूमि तरमीम युक्त खातेदारी भूमि है। जिसके नये ख0न0 336 रकबा 12.5100 हे0

P.T.O →

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamit
Meena
Date: 2021.02.17 17:32:54 IS
Reason: SelfAttested

(2)

प्रार्थना पत्र संख्या -37/2016
दुर्गादत्त बनाम सरकार

को नये सैटलमेन्ट सर्वे में गलत नक्शा कायम किया गया है जो मौके पर कब्जे व पूर्व तरमीम अनुसार नहीं है ना ही वास्तविक स्थिति के अनुरूप है। प्रार्थी की भूमि का जो नया नक्शा बनाया गया है उस नक्शे में पूर्व तरमीम शुदा भूमि को पूर्व नक्शे से काम सरकारी भूमि हाल ख०नं० 337 के नक्शे की स्थिति को परिवर्तित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं में दर्ज कर दिया गया तथा हाल ख०नं० 337 के नक्शे की पूर्व स्थिति को नक्शे में दक्षिणी - पश्चिमी हिस्से के अन्तिम छोर को प्रार्थी की भूमि के नक्शे में सम्मिलित कर दिया जिससे प्रार्थी की खातेदारी में बने मकान हाल ख०नं० 337 के नक्शे की सीमाओं में आ गये और प्रार्थी की भूमि के पूर्व नक्शे से हाल नक्शा संकुचित कर दिया जो पूर्व नक्शा व हाल नक्शा दोनों का मिलान करने पर दोनों भिन्न है जबकि प्रार्थी पूर्व तरमीम अनुसार काबिज चले आ रहे है इस प्रकार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सर्वे में गलत तरमीम कर दी गई जो कि भू प्रबन्ध कर्मचारियों को पूर्व पूर्व तरमीम शुदा खातेदारी की नई तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थी की तरमीम शुदा खातेदारी भूमि हाल में हुऐ नवीन सर्वे सैटलमेन्ट संवत 2061-62 के तहत सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने रकबा 166 रकबा के हाल ख०नं० 336 की तरमीम करते वक्त पूर्व तरमीम को देखे बिना वास्तविक कब्जे के विपरीत अव्यवहारिक तरीके से ख०नं० 336 व 337 का नक्शा गलत तरमीम कर कायम कर दिया गया है जो असंवैधानिक व [illegible] है तथा प्रार्थी की भूमि की तरमीम [illegible] में तरमीम दर्ज थी तथा सरकारी भूमि [illegible] की नक्शा तरमीम भी पूर्व से कायम थी जिसको

P.T.O.

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishw Meena
Date: 2021.02.17 17:32:
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र संख्या- 37/2016
दुर्गादत्त बनाम सरकार

हाल नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई। पूर्व नक्शे के भाग को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है उस भाग को हाल नक्शे में कम किया गया है जो अवैध है प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत प्रभाव युक्त है। उक्त गलत तरमीम से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार बाधित हो रहे है इसलिये गलत तरमीम को दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी को उक्त गलत नक्शा तरमीम की जानकारी हाल में प्रार्थी के पूर्व से पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट लेकर आवासीय मकान सन् 1986 में बनाये गये के खिलाफ गलत प्रकार से पटवारी ने सम्वत 2072 में प्रार्थी द्वारा निर्माण करने की मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा प्रार्थी की आपत्ति पर सीमाज्ञान किया गया जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी मौका सर्वे को हाल नक्शा शीट पर सुपर इम्पोज किया गया जिससे ख०न० 337 गैर मुमकिन नाला सिवायचक है। वह पूर्व साईड में अपना स्थान बदल चुका है तथा दक्षिण-पश्चिम साईड में लगभग 0.10 हैक्टेयर पक्के मकानों में समाहित हो चुका है। उक्त नाले की सीमाओं की निशान देही किया जाना सम्भव नही है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ख०न० 337 की तरमीम को प्रार्थी की सीमाओं में सम्मिलित माना है तथा पूर्व स्थिति परिवर्तित मानी गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर बेदखली करने पर आमदा है जिस जानकारी से गलत तरमीम की पूर्ण जानकारी हुई जिससे यह प्रार्थना पत्र नक्शा दुरुस्ती हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थी के

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishw...
Meena
Date: 2021.02.17 17:32:...
Reason: SelfAttested

(विश्वजीत मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

प्रार्थना पत्र संख्या - 37/2016
दुर्गादत्त बनाम सरकार

गत ख०न०. 166 रकबा 50 बीघा जिसके नवीन ख०न० 336 कायम किये गये है के नवीन नकशे की तरमीम को दुरस्त कर नकशे व पूर्व ख०न० 166 व 167 की नकशा तरमीम के अनुसार नवीन ख० न० 336 व 337 का नवीन नकशा कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अप्रार्थी की जारी की गई। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक 361 दिनांक 24/11/2020 के द्वारा अपना जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि नकशा एकीकरण तथा नकशा हाल दोनों को परस्पर आच्छादित करने पर ज्ञात होता है कि ख०न०. 337 हाल, गत ख०न० 166 की नवीन तरमीम भिन्न है। जिसमें ख०न० 166 गत को नवीन ख०न०- 337 बनाकर उत्तरी सीमा की ओर लगभग 7 मीटर विस्थापित कर दिया जो भू-प्रबन्ध विभाग की लिपिकीय भूल है। वास्तव में हाल ख०न० 337 की दक्षिणी सीमा 7 मीटर दक्षिण की तरफ ही विस्थापित होनी चाहिये। यह कि हाल एवं गत एकीकरण नक्शे को परस्पर आच्छादित करने पर आये हुये अन्तर को लाल स्याही से दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित किया जाता है तथा दुरूस्ती किया जाना उचित बताया।

अतः पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] Act को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि [illegible] के गत ख०न० 166 रकबा 50 बीघा [illegible] नवीन ख०न० 336 कायम किये गये है। के

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishw... Meena
Date: 2021.02.17 17:32
Reason: SelfAttested

(विश्व... मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

नवीन नक्शे की तरमीम को दुरुस्त कर करने व पूर्व ख०नं० 166 व 167 की तरमीम के अनुसार नवीन ख०नं० 336 व 337 का नवीन नक्शा कायम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ तदानुसार पालना करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Veri
Digitally signed by Vish
Meena
Date: 2021.02.17 17:32
Reason: SelfAttested